प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तारीख दिसंबर 16,की 2016 .आ. काअधिसूचना संख्या4061ण जमा योजनाके जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्या (अ) (पीएमजीकेडीएस), द्वारा क्तिअधिसूचित की थी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे व्य 2016 ण जमा योजनाधनराशि जमा की जाएगी जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्या,के अंतर्गत 2016 अघोषित आय की घोषणा की हो। यह जमाराशि, जो घोषित की गई अघोषित आय का कम से कम पच्चीस प्रतिशत होगी,दिसंबर 17 , 2016 (शनिवारमार्च 31 से (, 2017 (शुक्रवारमें जमा (अधिसूचित-भारत सरकार द्वारा यथा) तक किसी भी प्राधिकृत बैंक (करायी जा सकेगी।

इस संबंध में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना,में आय 2016 घोषित करने वालों को एक या अधिक बार धन जमा करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। तदनुसार, अधिसूचना का पैरा 4(4) निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

4“. बांड लेजर खाते में अभिदान और निवेश का तरीका) -4 म केइस स्की (अंतर्गत धारा) धारा-च की उप1991के तहत जमा की जाने वाली राशि एक या अधिक बार जमा ( ) धारा-ग की उप199 कराई जा सकेगी। ये धनराशियां धारा1के अंतर्गत घोषणा दाखिल (”करने से पूर्व जमा की जानी होंगी।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक07 : फरवरी, 2017